तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/7/22	पत्रावली पेश। बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र एवम् दस्तावेजों (~~सीमांकन की मौका फर्द इत्यादि~~) नामावली, पैमाईश आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा खसरा नं. 549 में अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का निर्माण ना करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा चाही है। वादीगण द्वारा सीमांकन आदेश पर शंका जताई एवम् मौके पर सीमांकन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में दलील दी। इस बाबत सीमांकन आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। प्रतिवादीगण द्वारा (सं. 1 से 4) पेश बहस एवं जवाबदावे में मुख्य दलील दी गई की वादीगण यदि कब्जा संबंधी विवाद का समाधान चाहते है तो उन्हें उस अनुसार कब्जा वापस लेने संबंधित दावा न्यायालय में पेश	

नायब तहसीलदार, [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	करना था। स्थायी निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं है। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों में प्रतिवादी सं. 1 सैय् द्वारा दिनांक 19.12.2003 को सीमांकन मौका फर्द एवम् भू-प्रबंध विभाग द्वारा 14.07.04 को किये गये सीमांकन की मौकाफर्द पत्रावली में पेश किया।
	समस्त दस्तावेजों सहित पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का वाद खसरा नं. 549 की सीमा की स्पष्टता के अभाव में दायर किया गया है। सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 19.12.03 से भी स्पष्ट है कि विवाद सीमा संबंधी है। 14.07.04 को किये गये सीमांकन में भू-प्रबंध की टीम द्वारा भी सीमांकन किया गया तथा निर्माण कार्य खसरा नं. 553 में होना बताया गया।
	वादीगण द्वारा भूमि का बेचान प्रतिवादीगण सं. (19 से 22) को किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा दलील दी गई कि बगैर विभाजन

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम

बनाम

सन्

नं.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
किये विवेचन से वादीगण द्वारा किसी विशेष भूभाग को स्वयं का बताये जाने संबंधी दावे को खारिज किये जाने के संबंध में दलील दी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर पत्रावली में कायम की गई तनकीहात विचार करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि तनकीह सं. 1 जिसका जिम्मा वादी का था एवं वादी को प्रतिवादी सं. (1 से 5) के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने संबंधी तनकीह साबित करनी थी। वादी इस संबंध में स्पष्टता के साथ साबित करने में सफल नहीं हुआ कि प्रतिवादीगण उसके खसरे में दखलअंदाजी करते या उतारू है	सहायक कलेक्टर, [illegible]

हुक्म

तनकी सं. 2 — प्रतिवादी के विरुद्ध जिसके प्रतिवादीगण को साबित करना था कि वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में सीमांकन रिपोर्ट पेश की गई एवं होने को सीमा एवं कब्जे संबंधी विवाद बताकर वादी को संबंधित प्रावधानों में सहत पाने हेतु वाद लाने संबंधी दलीलें दी। प्रतिवादीगण ये साबित करने में सफल रहे कि सीमा-विवाद के निष्पादन की भिन्न प्रक्रिया है। सीमा-विवाद स्थिति स्थापित ना होने तक स्थायी निषेधाज्ञा हेतु आदेश किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः तनकी संख्या 2 (दो) प्रतिवादी के पक्ष में फैसल की जाती है।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आदेश वादी द्वारा प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद खारिज किया जाता है। वादी सीमा-विवाद के निस्तारण बाबत प्रार्थना पत्र दायर करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर इसी सार पर समाप्त की जाती है। 05/07/22	